

चेकलिस्ट क्र.-26
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि/राजस्व वनभूमि के
प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-I
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)
प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन क्र. — FP/CG/Other/154619/2022

1. परियोजना विवरण

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला वन परिक्षेत्र के राजस्व वनभूमि (नारंगी वन क्षेत्र) का रकबा 2.0873 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की जाती है। इस कार्य से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं (उर्वरक, बिजली, इस्पात एवं कोयला क्षेत्र) द्वारा प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड एलएनजी के उपयोग को सक्षम बनाया जा सकेगा।
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
(iii) परियोजना की लागत	1446.89 करोड़ (एक हजार चार सौ छैयालीस करोड़ नवासी लाख रुपये)
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	शासन हित में भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है। जिससे जन सामान्य को प्राकृतिक गैस आपूर्ति/संचार व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी पैदा होगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	भारत सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है। जिससे जन सामान्य को प्राकृतिक गैस आपूर्ति/संचार व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी पैदा होगा। तथा इस कार्य में 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि (नारंगी वन क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. भूमि की आवश्यकता न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का	वन/राजस्व वनभूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा

विवरण, यदि कोई है	परिवार विस्थापित नहीं होगा।
(i) परिवारों की संख्या	निरंक
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	नहीं। पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम 1986) के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 5.2033 हे., बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत 0.0191 हे., कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.0873 हे., जांजगीर -चांपा व सक्ती जिले के जांजगीर - चांपा वनमंडल अंतर्गत 4.8054 हे. एवं रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत 3.5758 हे. इस प्रकार 15.6909 हे. कुल वनभूमि प्रकरण में प्रभावित हो रही है। प्रभावित हो रही भूमि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये CA Land खैरागढ़ वनमंडलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा एवं निर्धारित की जाने वाली राशि आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उनके मांग के अनुरूप जमा की जावेगी। दर में परिवर्तन होने पर उसके अंतर की राशि भी दी जावेगी। वचन पत्र संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।


 (एम.वी. अरविन्द)
 उप महाप्रबंधक (परियोजना)
 गेल (इण्डिया) लिमिटेड
 तेलीबाधा रायपुर (छ.ग.)
 Deputy General Manager (Construction)
 गेल (इण्डिया) लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)
 GAIL (India) Ltd. Raipur

चेकलिस्ट क. - 26

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव

PART - II

(संबंधित उप संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/Others/154619/2022

1	परियोजना /स्कीम का स्थान	नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइप लाईन (एमएनजेपीएल) परियोजना (छत्तीसगढ़ सेक्शन)/ कोरबा					
I	राज्य /संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़					
II	जिला	कोरबा					
III	वन प्रभाग	कोरबा वनमण्डल कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा					
IV	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि – निरंक					
		अनु.	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
		आरेंज वन भूमि					
		1	करतला	चिचोली	OA1507	297	0.0207
		2				269/1k	0.3749
		3				267/1k	0.3068
		4				254/1	0.4353
		5				875/1	0.6682
		6				881/1	0.1855
		7				880	0.0959
						Total	2.0873
		राजस्व वन भूमि – निरंक					
V	वन की कानूनी स्थिति	नारंगी वन					
VI	वनस्पति का घनत्व	0.2					
VII	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणीवार	वृक्ष नहीं है।					
VIII	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	भूमि कटाव हेतु सर्वेदनशील क्षेत्र नहीं है।					
IX	वन सीमा से प्रत्यावर्तित स्थल की अनुमानित दुरी	0 कि.मी.					
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य,जीव मण्डल रिजर्व, वाद्य रिजर्व,	नही					

	हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें)	
XI	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटापन /वन प्रजातियों का विवरण । (यदि कोई है तो उसका विवरण संलग्न करें)	नहीं
XII	क्या पुरातत्व महत्व स्थल/हेरीटेस साईट/सुरक्षा संस्थान या अन्य कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र में स्थित है (यदि हां तो विवरण संबंधित सक्षम अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें)	नहीं
2	क्या प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के भाग -1 के कॉलम 2 में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उल्लेखित वन भूमि न्यूनतम है । (यदि नहीं तो अन्य विकल्प में अनुशंसित क्षेत्र का आइटम वाइस विवरण)	न्यूनतम है।
3	क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो किए गए कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्यौरा दें। उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी भी चल रहे हैं ।	नहीं
4	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के व्यौरे	
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वन क्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का व्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार ।	वनमण्डलाधिकारी/ नोडल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा
(ii)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त गैर वन भूमि/बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	वनमण्डलाधिकारी/ नोडल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा

(iii)	रोपण की जाने वाली प्रजातियों, क्रियान्वयन एजेंसी, समय सारणी, लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	वनमण्डलाधिकारी/ नोडल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा
(iv)	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचय	वनमण्डलाधिकारी/ नोडल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा
(v)	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा)	वनमण्डलाधिकारी/ नोडल अधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा
5	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी है) मुख्यतः बिन्दु क्रमांक 7 (XI, XII), 8 और 9 के संदर्भ में	निरंक
6	वनमण्डल/जिला प्रोफाईल	
(i)	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	2820 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनमण्डल का वन क्षेत्र	2136.47 वर्ग कि.मी.
(iii)	1980 के बाद कुल वनक्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ रकबा	संख्या – 18 , रकबा – 1098.802 हे.
(iv)	1980 से जिला/वनमण्डल में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र	—
(a)	वन भूमि, दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण वनक्षेत्र को शामिल करते हुए।	2779.096 हेक्टेयर
(b)	वनेत्तर भूमि (गैर वन भूमि)	20 हेक्टेयर
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति दिनांक 31.03.2008 की स्थिति में।	
(a)	वनभूमि	2779.096 हेक्टेयर
(b)	वनेत्तर भूमि (गैर वन भूमि)	20 हेक्टेयर
7	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस।	जनहित को ध्यान में रखते हुये अनुशंसा की जाती है।

तारीख
स्थान

14/2/2023
Korba

(अरविंद एम.पी.)

वनमण्डल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमण्डल,
खैरागढ़ जिला, कोरबा
कोरबा वनमंडल कोरबा

चेकलिस्ट क्र.-26

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-III

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का आनलाईन पंजीयन क्रं.- FP/CG/Other/154619/2022

14.

स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हो/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वनेत्तर प्रयोग हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष	खसरा कमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
1	कोरबा	कोरबा	राजस्व वन (नारंगी क्षेत्र)	OA1507	297	0.0207
2					269/1k	0.3749
3					267/1k	0.3068
4					254/1	0.4353
5					875/1	0.6682
6					881/1	0.1855
7					880	0.0959
राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र) का योग					2.0873	

15.

क्या संबंधित वन संरक्षण भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16.

प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदित राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य के लिये स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :

स्थान:

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला वन परिक्षेत्र के 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य हेतु भूमि की मांग की गई है। उपरोक्त भूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :-

स्थान

:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18.	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग ख या भाग-ग या भाग घ) में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	

तिथि :-

स्थान :-

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वन मंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

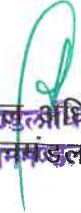
1	परियोजना का नाम	18'' इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य						
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल ईण्डिया लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)						
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	18'' इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की गई है।						
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला		वनमंडल		परियोजना स्थल		
		कोरबा		कोरबा		कोरबा		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला वन परिक्षेत्रके राजस्व वनभूमि (नारंगी वन क्षेत्र) का रकबा 2.0873 हे. भूमि में 18'' इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिये जाने की मांग की जाती है। इस कार्य से छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं (उर्वरक, बिजली, इस्पात एवं कोयला क्षेत्र) द्वारा प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड एलएनजी के उपयोग को सक्षम बनाया जा सकेगा।						
	(क) आरक्षित वन	—						
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	—						
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	—						
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष	खसरा कमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. मे)
		1	कोरबा	कोरबा	राजस्व वन (नारंगी क्षेत्र)	OA1507	297	0.0207
		2					269/1k	0.3749
		3					267/1k	0.3068
		4					254/1	0.4353
		5					875/1	0.6682
		6					881/1	0.1855
		7					880	0.0959
		राजस्व वनभूमि (नारंगी क्षेत्र) का योग						2.0873
	योग —	2.0873 हे.						

6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	कोरबा वनमंडल की प्रभावित हो रही वनभूमि मिश्रित वन है एवं इसकी स्थल गुण श्रेणी IV-b है तथा कक्ष इतिहास के अनुसार आवेदित वनभूमि का औसत घनत्व 0.2 दर्शित है।
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित वनभूमि का औसत घनत्व 0.2 है तथा आवेदित राजस्व वनभूमि में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	प्राकृतिक सामान्य
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रकरण विविध के अंतर्गत है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील /वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

प्रमाण— पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक संस्थान द्वारा कोरबा वनमंडल के अंतर्गत करतला वन परिक्षेत्रके 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि (नारंगी वन क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. मांग की गई भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
कोरबा वनमंडल


वनमंडल अधिकारी
कोरबा वनमंडल, कोरबा

चेकलिस्ट क्र.-26
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले
प्रस्ताव पर वनमंडल अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

उक्त परियोजना से कोरबा जिले में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा प्राकृतिक गैस, पीएनजी के उपयोग से रेसीडेंशियल एवं ग्रामीणों का विकास होगा ।

स्थल निरीक्षण दिनांक:- 14/2/2023


वनमंडल अधिकारी
कोरबा वनमंडल, कोरबा

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-04

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत आवेदकों के
अनुशंसित प्रस्तावों की सूचना बाबत**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 अंतर्गत आवेदक उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत गैर वानिकी कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव पर प्रस्ताव का ऑनलाईन पंजीयन क्र.-FP/CG/Other/154619/2022 आबंटित किया गया। आवेदित 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि (नारंगीवन क्षेत्र) को वनमण्डलाधिकारी/नोडल अधिकारी/मध्यप्रदेश की अनुशंसा उपरांत सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक.....दिनांक से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल/नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया गया है।

धन्यवाद,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

चेकलिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-05

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन
प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी (F.C.A.) छत्तीसगढ़ राज्य का
अनुशंसा प्रमाण-पत्र**

1. आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि (नारंगी वन क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति अधिनियम अंतर्गत चाही गई है।
2. प्रत्यावर्तित होने वाला वन क्षेत्र की स्थिति निम्नानुसार है :-
(अ) कोरबा वनमंडल की प्रभावित हो रही 2.0873 हे. राजस्व वनभूमि (नारंगीवन क्षेत्र) कुल 2.0873 हे. में मिश्रित वन है, कक्ष इतिहास के अनुसार इस कक्ष की स्थल गुण श्रेणी IV-B है तथा वन का औसत घनत्व 0.2 तक है। आवेदित भूमि में वृक्षों की संख्या निरंक है।
3. वनसंरक्षक/वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ।
4. आवेदित वनक्षेत्र की मांग न्यूनतम है, तथा वनभूमि प्रत्यावर्तन से Compensate करने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं से मैं सहमत हूँ।
5. आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं गैर वानिकी प्रयोजन हेतु विकल्प के रूप में कोई गैर वनभूमि उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत मांग की गई 2.0873 हे. वन/राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु छ.ग. शासन वन विभाग से स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

कंडिका 07 के अनुक्रमांक-02 के 3 की जानकारी

क्र.	परिक्षेत्र	वनखण्ड क्र/ वनकक्ष क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी. में	हेक्टेयर
1	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	297	20.7	10	0.0207
2	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	269/1K	374.9	10	0.3749
3	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	267/1K	306.8	10	0.3068
4	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	254/1	435.3	10	0.4353
5	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	875 (875/1)	668.2	10	0.6682
6	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	881/1	185.5	10	0.1855
7	करतला	दुग्गुपारा/ OA-1507	चिचोली	880	95.9	10	0.0959
राजस्व वनभूमि (नारंगी वन क्षेत्र) योग					2087.3	10	2.0873

वन मंडल अधिकारी
वनमण्डल अधिकारी,
कोरेवा वनमंडल, कोरेवा

(एम.वी. अरविन्द)
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
गेल (इण्डिया) लिमिटेड
तेलीबांधा रायपुर (छ.प्र.)
Deputy Managing Director (Construction)
GAIL (India) Ltd. Raipur

वन परिक्षेत्र अधिकारी
करतला परिक्षेत्र

Flora Detail

वृक्षों के प्रकार	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम
घास प्रजातियां (चारे योग्य) (निम्न रोह)		
	भुरभुरसी	Eragrostis tenella
	फुलबाहरी	Thysanolaena maxima
	दूब	Cynodon dactylon
	शुक्ला घांस	Heteropogon contortus
घास प्रजातियां (अखाद्य) (निम्न रोह)		
	कुकुर लटकना	NA
	छिंद	Eulali trispicata
झाड़ियां (निम्न रोह)		
	जमरासी	Elaeodendron glaucum
	धवई	Woodfordia floribunda
	घोटिया	NA
	खिरसाली	Nyctanthes arbortristis
	पलास	Butea monosperma
	खैर	Acacia catchu
शीर्ष स्तरीय वन		
	बहेड़ा	Terminalia belerica
	सागौन	Tectona grandis
	मुन्डी, कलमी, क्रेम	Mitragyna parvifolia
	बीजा	Pterocarpus marsupium
	सेमल	Salmalia malabarica
	हर्रा	Terminalia chebula
	सलाई	Boswellia serrata
	मोदे, मोयन, छिंगन, गुपीद	Lannea cormandalica

शाक (निम्न रोह)		
	पंवार	Sehima sulcatum
अधः स्तरीय वन	अमलतास	Cassia fistula
	लेण्डिया	Lagerstroemia parviflora
	अचार	Buchnanian lanzan
	हर्रा	Terminalia chebula
	पापड़ा	Garcinia latifolia
	भिर्रा	Chloroxylon swietenia
	चार	Buchnanian lanzan
	कर्रा	Cleistanthus collinus
	आंवला	Emblica officinalis
औषधीय / मुख्य लघु वनोपज		
	बहेड़ा	Terminalia belerica
	हर्रा	Terminalia chebula
	महुआ	Madhuca indica
	तेंदू	Diospyros melanoxylon
लताएं (निम्न रोह)		
	केवटी	NA
	बोदल	NA
	दूधी, चिरोल	Holoptelia integrifolia
	भांदर, बेला	Colebrookia oppositifolia

वचमंडल अधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
छत्तला परिक्षेत्र

Fauna Detail

क्र.	वन्य प्राणी/पक्षी का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	लंगूर	Presbytis entellus
2	बन्दर	Macaca mulatta
3	लकड़ बग्गा	Hyaena hyaena
4	नेवला	Herpestes edwardsi
5	गीदड़/सियार	Canis aureus
6	लोमड़ी	Vulpes bengalensis
7	गिलहरी	Funambulus pennanti
8	चूहा	Bandicota bengalensis
9	साही	Hystrix indica
10	खरगोश	Lepus nigricollis
11	सूअर	Sus scrofa
12	कोटरी, भड़की	Muntiacus muntjak
13	काला तीतर	Francolinus franco-linus
14	बटेर	Coturnix coturnix
15	जंगली मुर्गी	Gallus gallus
16	तोता	Psittacula eupatria
17	कोयल	Eudynamys scolopacea
18	मैना	Aeridotheres tristis

वन परिक्षेत्र अधिकारी
करतला परिक्षेत्र

वन मंडल अधिकारी
कोरेबा वन मंडल, कोरेबा